अति–आवश्यक

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक –एफ–27 (16)ग्राविवि/आईएवाई/जिला/ग्रुप–5/2015–16 जयपुर, दिनांक-05 अक्टूबर, 2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.),
अलवर, बांसवाडा, बाडमेर, बीकानेर, चित्तौडगढ, धौलपुर,
डूंगरपुर, जैसलमेर, करौली, प्रतापगढ, राजसमंद, सिरोही एवं उदयपुर,।

Programmer
15/10/15

विषय :– राज्य सरकार की बजट घोषणा अनुसार ''अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना'' हेतु लक्ष्यों के आवंटन के क्रम में।

प्रसंग :– परिपत्र संख्या– 14/2015 दिनांक 15.04.2015 एवं आदेश संख्या–15/2015 दिनांक 12.05.2015

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा की पालना में ''अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना'' अंतर्गत प्रासांगिक परिपत्र द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है, जिसमें जिला परिषदों द्वारा नियमानुसार सर्वे की कार्यवाही दिनांक 30 जून, 2015 तक पूर्ण कराकर वर्गवार सूची प्रकाशित कराने हेतु निर्देशित किया गया था। समय–समय पर स्मरण कराये जाने के उपरान्त भी आपके द्वारा उक्त सम्बन्ध में सर्वे की रिपोर्ट/सूचना अप्राप्त है, जो खेदजनक है।

इसी क्रम में प्रमुख शासन सचिव महोदय ने उक्त स्थिति को गंभीरता से लेकर प्राप्त सूचना वाले जिलों को ही वर्ष 2015–16 के आवंटित लक्ष्य आवंटित करने के निर्देशों की पालना में विभागीय पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 2015 द्वारा सम्बन्धित 18 जिलों को 3000 के लक्ष्य आवंटित कर दिये गये है। आपके इस कृत्य के कारण राज्य सरकार की मंशानुसार जिले के पात्र लाभार्थियों को योजना के लाभ से वंचित होना पड रहा है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में आपके स्पष्टीकरण के साथ योजनान्तर्गत सर्वे की वर्गवार सूचना दिनांक 19.10.2015 को आयोजित प्रभारी अधिकारियों की समीक्षा बैठक में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करावें।

8/10/15
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव,ग्रावि

C:\Users\user\Desktop\SURESH PA 2014-15.docx

E-OFFICE ... 95.7936
DATE.....15.10.15....

प्रतिलिपि . निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
5. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड कराने हेतु।
6. अधिशाषी अभियंता (अभि.), जि.प. समस्त राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

Programmer
15/10/15

C:\Users\user\Desktop\SURESH PA 2014-15.docx